Dr. Virendra Singh, Co-ordinator, NSS
Mob. 9412106486, 9927087028
virendrasingh1839@gmail.com

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
CHAUDHARY CHARAN SINGH UNIVESITY, MEERUT
राष्ट्रीय सेवा योजना
NATIONAL SERVICE SCHEME

पत्रांकः 104/02/रा0से0यो0/1060
दिनांकः 04 अप्रैल, 2024

प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त महाविद्यालय/संस्थान
राष्ट्रीय सेवा योजना
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ ।

विषयः वित्तीय वर्ष 2024–25 में नवीन संस्थाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना की नवीन इकाईयों के सृजन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक डा0 मंजू सिंह, विशेष कार्याधिकरी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के आदेश दिनांक 03 अप्रैल, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें । इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु नवीन संस्थाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना की नवीन इकाईयों के लिये आवेदन आमंत्रित किये जाते है। आवेदित संस्थात ध्यान रखे कि उक्त संस्थान को सम्बद्धता प्राप्त हुए तथा सम्बन्धित पाठ्यकम संचालित हुए कम से कम तीन हो चुके हों । साथ ही एक इकाई हेतु महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं की संख्या 100 से कम नहीं होनी चाहिये ।

अतः अनुरोध है कि इच्छुक संस्था आवेदन पत्र के साथ पिछले तीन वर्षो मे किये गये सामाजिक, सांस्कृतिक तथा नैतिक आदि कार्यो की रिर्पोट (एक्सन फोटो ग्राफ्स, अखबार की कटिंग, आख्या सहित रिर्पोट) दिनांक 07.04. 2024 तक राष्ट्रीय सेवा योजना विश्वविद्यालय कार्यालय में हार्ड कॉपी में प्रत्येक स्थिति में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । विलम्भ से आये आवेदनों पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जायेगा । **आवेदन प्रपत्र संलग्न**

भवदीय
V. Singh
(डॉ0 वीरेन्द्र सिंह)
कार्यकम समन्वयक, रा0से0यो0
Kavtor 04.04.24

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. डा0 मन्जु सिंह, विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ
2. श्री ए0एस0 कबीर, क्षेत्रीय निदेशक राष्ट्रीय सेवा योजना, सैक्टर–एच0 अलीगंज लखनऊ कार्यालय

भवदीय
V. Singh
डा0 वीरेन्द्र सिंह
कार्यकम समन्वयक, रा0से0यो0
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय
मेरठ
Kavtor 04.04.24

Scanned with OKEN Scanner

प्रारुप– ।।

वर्ष 20......–20........ में नई संस्थाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाईयों का आवंटन प्रस्ताव
महाविद्यालय/माध्यमिक शिक्षा मण्डल/प्राविधिक शिक्षा क्षेत्र/जोन का नामः–

<table>
<tr><td rowspan="4">क्रम सं0</td><td rowspan="4">विश्वविद्यालय परिसर/महाविद्यालय/माध्यमिक विद्यालय/पॉलिटेक्निक संस्था का नाम</td><td rowspan="4">शासन द्वारा स्थायी मान्यता प्रदान करने का वर्ष (मान्यता प्राप्ति की फोटो प्रति भी संलग्न करें)</td><td colspan="4">वर्तमान वर्ष में अध्ययनरत् छात्रों की संख्या</td></tr>
<tr><td rowspan="3">वर्ष</td><td colspan="2">स्नातक/पॉलिटेक्निक संस्था
माध्यमिक शिक्षा</td><td rowspan="3">योग</td></tr>
<tr><td>प्रथम वर्ष</td><td>द्वितीय वर्ष</td></tr>
<tr><td>कक्षा–11</td><td>कक्षा–12</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td></td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित छात्र संख्या	राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई आवंटन कराये जाने का औचित्य (अधिकतम 30 शब्दों में)
7	8

वर्तमान वर्ष विश्वविद्यालय परिसर, महाविद्यालय स्तर पर स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष, पॉलिटेक्निक कॉलिज में प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष तथा माध्यमिक शिक्षा स्तर पर कक्षा–11 व 12 में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या अंकित की जाये। अध्ययनरत् छात्रों की संख्या का सत्यापन विश्वविद्यालय परिसर/महाविद्यालय स्तर पर कुलसचिव, पालिटेक्निक संस्था स्तर पर क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा कालेज स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा किया जायेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी जानकारी एवं विश्वास में उपर्युक्त सभी सूचनाएँ पूर्णतः सत्य है तथा उपर्युक्त कालम संख्या–7 में प्रस्तावित छात्र संख्या के अनुसार सम्बन्धित शिक्षण संस्था योजना के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक संरचनात्मक सुविधाएँ तथा निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षित कार्यक्रम अधिकारी उपलब्ध कराने के साथ–साथ शासन तथा भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अक्षरशः पालन के लिए वचनबद्ध है।

दिनांक ....

अध्ययनरत् छात्रों की संख्या सत्यापित

हस्ताक्षर–प्राचार्य
(सील सहित)

स्थानः.......................

संलग्नकः–स्ववित्त पोषित कालेज की मान्यता प्राप्ति की सत्यापित फोटो प्रति।

हस्ताक्षर–विश्वविद्यालय स्तर पर कुलसचिव/माध्यमिक कालेज स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक/पालिटेक्निक संस्था स्तर पर क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा (सील सहित)

Scanned with OKEN Scanner